

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/म.गां.प्रकोष्ठ/66174/मॉडल स्कूल/2024-25/(E File-36241-4)

दिनांक: यथा हस्ताक्षर

1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा।
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं बीआरसीएफ, समग्र शिक्षा।
5. समस्त संस्था प्रधान, स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालय।

विषय :- राज्य में संचालित स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल में साक्षात्कार/विशेष चयन परीक्षा से पदस्थापित कार्मिकों के प्रतिवर्तन आवेदन के संबंध में।

राज्य में संचालित स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालयों में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर द्वारा समय समय पर जारी विज्ञप्ति के क्रम में तथा कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक: 23.01.2023 के द्वारा साक्षात्कार/विशेष चयन परीक्षा के माध्यम से इन विद्यालयों में कार्मिक पदस्थापित किये गये हैं।

उक्त नियम, 2023 के प्रावधानानुसार इन विद्यालयों में साक्षात्कार/विशेष चयन परीक्षा के माध्यम से पदस्थापित इच्छुक शिक्षको/कार्मिकों के **प्रतिवर्तन का विकल्प पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-**

आवेदन की शर्तें व दिशा-निर्देश

1. आवेदन पत्र दिनांक: 13.03.2026 से 17.03.2026 मध्य रात्रि 12:00 बजे तक शाला दर्पण पोर्टल पर स्टॉफ लॉगिन के माध्यम से ऑनलाईन भरे जायेंगे।
2. आवेदन पत्र केवल उन्हीं कार्मिकों के स्वीकार होंगे, जिनकी दिनांक 01.04.2026 तक इन विद्यालयों में चयन/पदस्थापन अवधि 03 वर्ष पूर्ण या उससे अधिक हो।
3. स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालयों से प्रतिवर्तन हेतु पूर्व में किये गये आवेदन/विकल्प तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त पत्र इस प्रक्रिया हेतु मान्य नहीं किये जायेंगे।
4. **जिन कार्मिकों द्वारा प्रतिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है, उन पदों को संभावित रिक्ति मानते हुए उन पदों पर आगामी चयन प्रक्रिया की जायेगी।**
5. आवेदन पत्र में इच्छुक कार्मिक द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की सूचना गलत/तथ्य छुपा कर आवेदन किये जाने पर कार्मिक का आवेदन निरस्त कर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
6. आवेदन करने मात्र से इच्छुक कार्मिक की प्रतिवर्तन हेतु पात्रता स्वतः सिद्ध नहीं मानी जायेगी। इस संबंध में अन्तिम निर्णय विभाग द्वारा छात्रहित को सर्वोपरि मानते हुए प्रतिवर्तन आवेदन स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण तथा अन्तिम अधिकार होगा।
7. **आवेदनकर्ता से संबंधित सूचना शाला दर्पण के प्रपत्र-10 (P-10) तथा विद्यालय द्वारा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के प्रकार (Staff Posting Entry Module) में की गई प्रविष्टि की सूचना से ली जायेगी, अतः आवेदनकर्ता आवेदन करने से पूर्व प्रपत्र-10 व Staff Posting Entry Module को अध्ययतन (update) संस्था प्रधान से करवाना सुनिश्चित करें।**
8. आवेदन पत्र में मांगे गये **प्रतिवर्तन के विकल्प** के संबंध में अन्तिम निर्णय विभाग द्वारा कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक: 23.01.2023 के अनुसार किया जायेगा।

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति.राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान(समसा)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

RajKaj Ref No.:

20778464

eSign DSC

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायतीराज (प्राशि) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
5. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (आई.टी.), राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), शिक्षा संकुल, राजस्थान, जयपुर
7. उप निदेशक (शाला दर्पण प्रकोष्ठ), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पत्र में दी गई समय सारणी अनुसार कार्यवाही करें।
8. समस्त उप निदेशक (महात्मा गांधी), संयुक्त निदेशक कार्यालय।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
11. सहायक निदेशक, संस्थापन AB/C/F अनुभाग, कार्यालय हाजा।

उप निदेशक(महात्मा गांधी विद्यालय)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर